न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 38/2018

प्रार्थी–
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई, एचएफसी लि0, 2सी मधुबनी, मधुबन, उदयपुर–313001
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. प्रतापसिंह शेखावत पुत्र श्री मगनसिंह, 255 मां हिंगलाज नगर, लालपुरा गांधीपथ, वैशाली नगर, जयपुर (राज0)
2. श्रीमति चैन कंवर, 255 मां हिंगलाज नगर, लालपुरा गांधीपथ, वैशाली नगर, जयपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–
1. श्री श्री महेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 22/01/2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण प्रतापसिंह शेखावत व अन्य के विरूद्ध पेश किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण प्रतापसिंह शेखावत व अन्य की प्रार्थना पर एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज मे कुल **27,50,000/–** रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप मे सम्पत्ति

यथा **बाड़मेर शहर मे आवासीय फ्लैट सं. 717, सातवां तल, सी–1 सिटी सेन्टर, महावीर नगर बाड़मेर क्षेत्रफल लगभग 1519 वर्गफीट निर्मित संरचना** को प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 17.04.2017 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.02.2018 तक बकाया शेष रूपये 29,34,777/– भुगतान नही करने पर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी बैंक के पक्ष मे अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के कब्जे व स्वामित्व मे है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे मे लेना सम्भव नही है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 27,50,000/– ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष मे रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से दिनांक 23.02.2018 तक कुल 29,34,777/– बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है तथा समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा द्वारा बकाया राशि का भुगतान नही किया है। ऐसे मे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे मे दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष मे प्रतिभूति के रूप मे रखी गई

उक्त सम्पत्ति **बाड़मेर शहर मे आवासीय फ्लैट सं. 717, सातवां तल, सी–1 सिटी सेन्टर, महावीर नगर बाड़मेर क्षेत्रफल लगभग 1519 वर्गफीट निर्मित संरचना** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर